आदेश की क्रम सं0 और तारीख	**कार्यालय जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।** (जिला राजस्व शाखा) **अभिलेख संख्या –08/2025.** Mohammad Hamza, ग्राम गाण्डो, पो0 खरगडीहा, प्रखण्ड जमुआ, जिला गिरिडीह। **बनाम्** **जन वितरण प्रणाली विकता**–श्री कालेश्वर पासवान, ग्राम गाण्डो, पो0 खरगडीहा, प्रखण्ड जमुआ, जिला गिरिडीह।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

DGRO PGMS (https://www.jharkhandsfc.in) Portal के माध्यम से Complaint ID-09212224200005 dated 09.12.2022 से शिकायतकर्त्ता Mohammad Hamza, ग्राम गाण्डो, पो0 खरगडीहा, प्रखण्ड जमुआ, जिला गिरिडीह के द्वारा कार्डधारी (राशन कार्ड सं0–202800358901) को राशन नहीं मिलने संबंधी शिकायत दर्ज कराया गया है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की सुसंगत धारा के तहत् वाद की कार्रवाई हेतु पंजीकृत किया गया।

उक्त शिकायत के संदर्भ में उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस करते हुए संबंधित शिकायत की जाँच हेतु प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ को भेजा गया। उभय पक्षों के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष दाखिल किया गया। साथ ही प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ के पत्रांक 83 दिनांक 21.02.2025 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेखित किया गया है :–

1. विकेता कालेश्वर पासवान की मृत्यु दिनांक 17.08.2022 को हो गया था। (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न)
2. विकेता कालेश्वर पासवान की मृत्यु के पश्चात् नजदीकी जन वितरण प्रणाली विकेता श्री अर्जुन सिंह के द्वारा कालेश्वर पासवान से संबंधित कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण किया गया है।
3. शिकायतकर्त्ता जानकारी के अभाव में जन वितरण प्रणाली विकेता श्री अर्जुन सिंह के पास खाद्यान्न उठाव के लिए नहीं पहुँचा, राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत Balance की कटौती कर ली गई है।
4. अनुकम्पा के आधार पर जब कालेश्वर पासवान के पुत्र आनंद पासवान का आवंटन मिला तो जन वितरण विकेता आनंद पासवान के द्वारा शिकायतकर्त्ता को सभी बकाया खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है।
5. आनंद पासवान को दुकान आवंटित होने के बाद शिकायतकर्त्ता को ससमय खाद्यान्न दिया जा रहा है जिसका वितरण आहार पोर्टल पर ऑनलाईन देखा जा सकता है।

शिकायतकर्त्ता Mohammad Hamza ने भी लिखित आवेदन देकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि उन्हें जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है और जन वितरण प्रणाली विक्रेता को शिकायत से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

–:: आदेश ::–

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ के जाँच प्रतिवेदन, शिकायतकर्त्ता के लिखित ब्यान एवं दाखिल दस्तावेज के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त शिकायत की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पारित आदेश की प्रति DGRO Portal पर Upload किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

28.02.25

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

28.02.25

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

ज्ञापांक 546 /रा0(DGRO) गिरिडीह, दिनांक 28 / 02 /2025.

प्रतिलिपि :– शिकायतकर्त्ता Mohammad Hamza, ग्राम गाण्डो, पो0 खरगडीहा, प्रखण्ड जमुआ, जिला गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

28.02.25

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।